

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012020-215594
CG-DL-E-20012020-215594

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]
No. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

का.आ. 257(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, वाइडनिंग एक्ससिटिंग 2 एल से 4 एल विड पेव्ड शोल्डर इन्क्लूडिंग स्ट्रेथिंग दि एक्ससिटिंग कैरिजवे फ्रॉम km 36/0-80/0 ऑफ़ सालेम-तिरुपत्तूर-वणियांबड़ी रोड NH 179A इन दि स्टेट ऑफ़ तमिल नाडु उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH179A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यु अफसर, धर्मपुरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH179A के कि.मी. 36 से 69 तक	तमिलनाडु	धर्मपुरी	हॉरर	1ईचंबादी
						2इलाइयांपट्टी
						3कुमरामपट्टी
						4इत्तालापट्टी
						5मामपट्टी
						6के.वेत्तापट्टी
						7कुरुम्बापट्टी
						8मोबिरिप्पत्ति
					पापपिरेडुपट्टी	1चिन्तनकुप्पम
						2पप्पांबादी
3एरुमिअम्पट्टी						
4पुडुपट्टी						
2	डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यु अफसर, कृष्णागिरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH179A के कि.मी. 69 से 80 तक	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	उठंगरै	1वेप्पालामपट्टी
						2कात्तेरी
						3हनुमनथीर्थम

[फा. सं. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/146/2018-19]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

S.O. 257(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Widening existing 2L to 4L with paved shoulder including strengthening the existing carriageway from km 36/0-80/0 of salem-Tirupattur-vaniyambadi road NH 179A in the State of TAMIL NADU.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH179A in the State of TAMIL NADU.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Dharmapuri	36KM To 69KM	TAMIL NADU	DHARMAPURI	Harur	1 Ichambadi
						2 Ilaiyampatty
						3 Kumrampatty
						4 Ittalapatti
						5 Mampatty
						6 K.Vetrapatti
						7 Kurumbapatty
						8 Mobirippatti
					Pappireddipatti	1 Chinnankuppam
						2 Pappambadi
						3 Erumiyampatty
						4 Pudupatti
2	District Revenue Officer, Krishnagiri	69KM To 80KM	TAMIL NADU	KRISHNAGIRI	Uthangarai	1 Veppalampatti
						2 Katteri
						3 Hanumantheertham

[F. No. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/146/2018-19]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.